

मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग,
वल्लभ भवन कमांक-3, चतुर्थ तल
मंत्रालय भोपाल

// आदेश //

भोपाल दिनांक 31/08/2020

कमांक/458/1712/2020/1/59 : राज्य शासन एतद्वारा समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 18.08.2020 में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुक्रम में निम्नलिखित आयुष चिकित्सा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम (3) में उल्लिखित प्रथम समयमान वेतनमान कॉलम (4) में अंकित दिनांक से स्वीकृत किया जाता है:-

क.	नाम/पदनाम/जिला	समयमान वेतनमान प्रथम/द्वितीय/तृतीय विचार हेतु पात्रता दिनांक/वेतनमान	दिनांक जिससे समयमान वेतनमान हेतु उपयुक्त होकर देय है।
1	2	3	4
1.	डॉ० संजय खरे आ.चि.अ. जिला-सागर	द्वितीय कार्योत्तर 01.04.2006 (37400-67000+7600)	दिनांक 01.04.2006
		तृतीय नवीन 23.06.2017 (37400-67000+8700)	दिनांक 23.06.2017
2.	डॉ. तोलासिंह, आचिअ जिला-सागर	द्वितीय कार्योत्तर 14.03.2007 (37400-67000+7600)	दिनांक 14.03.2007
3	डॉ. ओमप्रकाश चर्तुभुज मिश्रा, सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकि. अधि. जिला-धार	द्वितीय कार्योत्तर 01.04.2006 (37400-67000+7600)	दिनांक 01.04.2006
4	डॉ. कमाल आलम खान (से.नि.) आचिअ जिला-छतरपुर	प्रथम कार्योत्तर 01.04.2006 (37400-67000+6600)	दिनांक 01.04.2006
5.	डॉ०जमीला हफीज, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी, जिला भोपाल	प्रथम नवीन 01.04.2006 (37400-67000+6600)	दिनांक 01.04.2006
		द्वितीय नवीन 21.02.2011	दिनांक 21.02.2011

2

		(37400-67000+7600)	
6	डॉ.प्रमोद कुमार जैन, आयुर्वेद चिकित्सा अधि. जिला देवास	द्वितीय कार्योत्तर 01.04.2006 (37400-67000+7600)	दिनांक 01.04.2006
		तृतीय नवीन 23.06.2017 (37400-67000+8700)	दिनांक 23.06.2017
7	डॉ.ओ.पी.गुप्ता, होम्योपैथी चिकि.अधि. जिला-ग्वालियर	द्वितीय नवीन 01.03.2011 (37400-67000+7600)	दिनांक 01.04.2011
8	डॉ.प्रमोद कुमार पाठक, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला-पन्ना	प्रथम नवीन 02.11.2018 (37400-67000+6600)	दिनांक 02.11.2018
9	डॉ.रामस्वरूप गुप्ता होम्योपैथी चिकि.अधि. जिला शहडोल	प्रथम नवीन 29.10.2018 (37400-67000+6600)	दिनांक 29.10.2018
10	डॉ.जनार्दन पाठक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला-रीवा	प्रथम नवीन 03.11.2018 (37400-67000+6600)	दिनांक 03.11.2018
11	डॉ.विष्णु प्रकाश त्रिवेदी आयुर्वेद चिकि.अधि. जिला पन्ना	द्वितीय नवीन 08.09.2013 (37400-67000+7600)	दिनांक 01.04.2015
12	डॉ.नईमुज्जमा खान, यूनानी चिकित्सा अधि. जिला भोपाल	द्वितीय कार्योत्तर 01.04.2006 (37400-67000+7600)	दिनांक 01.04.2006
13	डॉ.मो.कामिल, यूनानी - चिकि.अधिकारी जिला-भोपाल (दिवंगत-11.05.2020))	द्वितीय नवीन 30.03.2014 (37400-67000+7600)	दिनांक 01.04.2014
14	डॉ.तरुण चन्द्र आत्मा, होम्योपैथी चिकि.अधि. जिला- <i>स्वर्ना</i> <i>Kes</i>	प्रथम नवीन 04.11.2018 (37400-67000+6600)	दिनांक 04.11.2018
15	डॉ.विजय देवतारे, होम्योपैथी चिकि.अधि. जिला-छिंदवाडा	प्रथम नवीन 29.10.2018 (37400-67000+6600)	दिनांक 29.10.2018
16	डॉ.शिवाजी चतुर्वेदी, आयुर्वेद चिकि.अधि. जिला-विदिशा	प्रथम नवीन 29.10.2018 (37400-67000+6600)	दिनांक 29.10.2018
17	डॉ.गणेशराम बाहे, होम्योपैथी चिकि.अधि. जिला-बालाघाट	प्रथम नवीन 04.11.2018 (37400-67000+6600)	दिनांक 04.11.2018
18	डॉ.भूषण राम बोहरे, होम्योपैथी चिकि.अधि.	प्रथम नवीन 03.11.2018	दिनांक 03.11.2018

3

	जिला-बालाघाट	(37400-67000+6600)	
19	डॉ०रामकुमार सिंह, सेवानिवृत्त,आयुर्वेद चिकि.अधि. जिला-उमरिया	द्वितीय कार्योत्तर 01.04.2006 (37400-67000+7600)	दिनांक 01.04.2011
20	डॉ०मनोज कुमार यादव, होम्योपैथी चिकि.अधि. जिला-जबलपुर	प्रथम नवीन 04.11.2018 (37400-67000+6600)	दिनांक 04.11.2018
21	डॉ०महेन्द्र कुमार पाण्डे होम्योपैथी चिकि.अधि. जिला-सतना	प्रथम नवीन 29.10.2018 (37400-67000+6600)	दिनांक 29.10.2018
22	डॉ०प्रमोद शर्मा होम्योपैथी चिकि.अधि. जिला-खरगौन	प्रथम नवीन 02.11.2018 (37400-67000+6600)	दिनांक 02.11.2018
23	डॉ०प्रदीप कुमार जैन, आयुर्वेद चिकि०अधि० जिला-खरगौन	प्रथम नवीन 02.11.2018 (37400-67000+6600)	दिनांक 02.11.2018
24	डॉ०महेश पोरवाल, आयुर्वेद चिकि०अधि० जिला-इन्दौर	द्वितीय नवीन — 20.06.2019 — (37400-67000+7600)	दिनांक 20.06.2019
25	डॉ०रधुनंदन पाण्डे, होम्योपैथी चिकि०अधि० जिला-नरसिंहपुर	प्रथम नवीन 29.10.2018 (37400-67000+6600)	दिनांक 29.10.2018
26	डॉ०अमर राठौर, होम्योपैथी चिकि०अधि० जिला-देवास	प्रथम नवीन 29.10.2018 (37400-67000+6600)	दिनांक 29.10.2018
27	डॉ०रमेशचन्द्र सोनी, होम्योपैथी चिकि०अधि० जिला-देवास	प्रथम नवीन 29.10.2018 (37400-67000+6600)	दिनांक 29.10.2018
28	डॉ०वंदना तिवारी, आयुर्वेद चिकित्सा अधि० जिला-भोपाल	प्रथम नवीन 29.10.2018 (37400-67000+6600)	दिनांक 29.10.2018
29	डॉ०मीना भायल, आयुर्वेद चिकित्सा अधि० जिला-झाबुआ	द्वितीय नवीन 22.05.2011 (37400-67000+7600)	दिनांक 22.05.2011
30	डॉ०रमेश भायल, आयुर्वेद चिकि०अधिकारी जिला-इन्दौर	द्वितीय नवीन 22.05.2011 (37400-67000+7600)	दिनांक 22.05.2011
31	डॉ०राजुल सिंघई, होम्योपैथी चिकि०अधि० जिला-सागर	प्रथम नवीन 02.11.2018 (37400-67000+6600)	दिनांक 02.11.2018

4

2/- डॉ. कमाल आलम खान, (से.नि.) आचिअ, जिला-छतरपुर, को द्वितीय समयमान वेतनमान पर समिति द्वारा विचार किया गया। विचारण वर्ष 2008 से 2012 तक के गोपनीय प्रतिवेदनों में से वर्ष 2009 का गोपनीय प्रतिवेदन अप्राप्त है। समिति द्वारा मापदण्ड-1 अनुसार उनके एक वर्ष पूर्व के वर्ष 2007, के गोपनीय प्रतिवेदन को विचार में लिये गये। विचारण वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन में निर्धारित अंक नहीं होने पर दिनांक 08.08.2013 से द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु अनुपयुक्त है। समिति द्वारा इनके आगे के वर्ष 2014, 2015 एवं 2016 में द्वितीय समयमान वेतनमान पर विचार किया गया। उक्त वर्षों में भी गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन में निर्धारित अंक नहीं होने पर उक्त वर्षों में भी द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु अनुपयुक्त पाये जाने की अनुशंसा की गई।

3/- डॉ०रामकुमार सिंह, सेवानिवृत्त, आयुर्वेद चिकि.अधि. जिला-उमरिया को तृतीय समयमान वेतनमान पर समिति द्वारा विचार किया गया। विचारण वर्ष के उपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदनों में से वर्ष 2013 के गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल टीका संसूचित होकर प्रचलित है। समिति द्वारा प्रतिकूल टीका के निराकरण उपरांत तृतीय समयमान वेतनमान पर विचार किये जाने की अनुशंसा की गई।

4/- डॉ०राजेन्द्र कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त, आयुर्वेद चिकि०अधिकारी, जिला-टीकमगढ़, को द्वितीय समयमान वेतनमान पर समिति द्वारा विचार किया गया। विचारण वर्ष 2005 से 2009 तक के उपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन में निर्धारित अंक नहीं होने पर दिनांक-20.01.2010 से द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु अनुपयुक्त है। समिति द्वारा आगे के वर्ष 2010 से सेवानिवृत्त वर्ष 2015 तक द्वितीय समयमान वेतनमान पर विचार किया गया। समिति द्वारा किसी भी वर्ष के विचारण वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों में समग्र मूल्यांकन निर्धारित अंक नहीं होने पर द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु अनुपयुक्त पाये जाने की अनुशंसा की गई।


5/- कार्यालय प्रमुख द्वारा समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व निम्न विन्दुओं के संबंध में संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत अभिलेख से पुष्टि कर ली जाए :-

- 5.1 संबंधित अधिकारी को प्रारम्भिक 08 वर्ष की सेवा अवधि प्रथम समयमान वेतनमान की स्वीकृत तिथि से 08 वर्ष पूर्व के सेवाकाल में यदि कोई अकार्य दिवस घोषित किया गया हो तो समयमान वेतनमान का लाभ देते समय इस अवधि को गणना में शामिल न किया जाय।
- 5.2 यदि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच चल रही हो तो समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जावे।
- 5.3 जिला आयुष अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रथम समयमान वेतनमान की स्वीकृत दिनांक से विगत पांच वर्षों में कोई दण्ड प्रभावशील तो नहीं रहा है। यदि उक्त अवधि में दण्ड प्रभावशील रहा है तो उनसे संबंधित समयमान वेतनमान का यह स्वीकृती आदेश स्वमेव निरस्त माना जाए।
- 5.4 समयमान वेतनमान का लाभ मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24/09/2008 के परिप्रेक्ष्य में परिपत्र क्रमांक-एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 07.11.2009 के अनुसार किया जावे।

5

6/ उपरोक्त प्रथम समयमान वेतनमान, वेतन निर्धारण के समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जावे। इस आदेश के द्वारा स्वीकृत समयमान वेतनमान संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा अनुमोदन पश्चात ही देय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


31-8-2020
(कलावती उईके)


अवर सचिव

म. प्र. शासन, आयुष विभाग

भोपाल, दिनांक 31/08/2020

पृष्ठांकन क्रमांक/459/1712/2020/1/59
प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, आयुष विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 - 2- निज सचिव, सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग भोपाल।
 - 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 - 4- संबंधित संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन,.....।
 - 5- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश को विभागीय बैकसाइड पर प्रदर्शित करने हेतु।
 - 6- संबंधित संभागीय आयुष अधिकारी,
 - 7- संबंधित जिला आयुष अधिकारी
 - 8- संबंधित डॉ.
 - 9- आदेश फाइल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


31-8-2020

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग